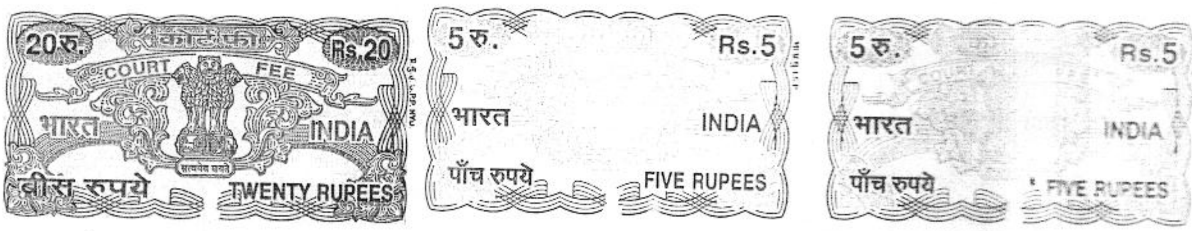

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – बिदिशा

अपील – 5266/2018/विदिशा/आ०अ०

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

–– अपीलार्थी

विरूद्ध

1– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल (म.प्र.)

2– सहायक आबकारी आयुक्त जिला बिदिशा म.प्र.

3– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

–– प्रत्यर्थीगण

श्री सोमेश चतुर्वेदी अभि० द्वारा आज दि० 24.8.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठां. क्रमांक 5 (1)/2018–19/3826 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 5266/2018/विदिशा/आ.अ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8/5/19	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/3826 में पारित आदेश दिनांक 24-7-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)2016-17/150 दिनांक 29-4-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला विदिशा के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे । जिला आबकारी अधिकारी, जिला विदिशा के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागारों विदिशा पर अवधि माह जनवरी 2017, से मार्च 2017 एवं गंजबासौदा पर अवधि माह मई 2016, जून 2016 एवं जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/3826 में दिनांक 24-7-2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार विदिशा एवं गंजबासौदा पर उपरोक्त अवधि में कुल 120 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से 30,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 45,000/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सुनवाई का	

समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कांच की बोतलों में निर्धारित संग्रह रखा गया था, जिस कारण प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा देशी मदिरा का प्रदाय कांच की बोतलों में प्राप्ति हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । मद्यभाण्डागारों पर एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखा जाना आपातकालीन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विहित वैधानिक व्यवस्था है, जिसका पालन आसवक द्वारा किया गया । तर्क में यह भी कहा गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा निविदा की शर्त क्रमांक 6(v) पर बिना विचार किये अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपत करने में भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि किसी प्रदाय क्षेत्र में मदिरा प्रदाय विफल नहीं हुआ है, न ही शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है और न ही किसी लायसेंसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से की गई है, इस कारण अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती । इस तर्क के समर्थन में ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 253, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 346, 1985 सुप्रीम कोर्ट 285 एवं 1990 सुप्रीम कोर्ट 1979 के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया । यह भी कहा गया कि शासन को क्या हानि हुई है, यह प्रमाण भार शासन पर था, जिसे शासन द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है । तर्क में यह भी कहा गया कि उभय पक्ष के मध्य एक संविदा है और भारतीय संविदा अधिनियम, 1972 की धारा 74 के प्रावधानों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है तब अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति नहीं लगाई जा सकती । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संविदा दोनों पक्षों पर बंधनकारी है, जिसके अंतर्गत किसी एक पक्ष को हुई हानि के लिए उस सीमा तक हानि की वसूल की जा सकती है । किसी शर्त के उल्लंघन पर प्रतिकात्मक शास्ति लगाई जा सकती है और संभावना के आधार पर मनमाने ढंग से शास्ति अधिरोपित करना अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने जाने के पीछे मंशा यह थी कि आपातकालीन परिस्थितियों में मदिरा का प्रदाय प्रभावित न हो, किन्तु यह भी देखा जाना चाहिए कि उसका व्यवहारिक महत्व क्या है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी निविदा में 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखे जाने के प्रावधान को विलोपित कर दिया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज पर बिना विचार किए मनमाने रूप से आदेश पारित किया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित होकर निरस्त किए जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. देशी स्प्रिट के नियम 4(4) जो कि आज्ञापक उपबंध है, के अनुसार-

4. Manufacture, working & Control:---

(4) The license shall maintain at the distillery the minimum stock of spirit as prescribed by the Excise Commissioner from time to time."

2. अपीलार्थी इकाई वर्ष 2016-17 के लिए सी.एस. 1 लाइसेंस प्रयाय किया गया था और सी.एस. 1 लाइसेंस की शर्त क्र. 3 के अनुसार ईकाई को 1 दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतल को रखा जाना आवश्यक था।

4. सहायक आबकारी आयुक्त, जिला विदिशा के पत्र अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार विदिशा एवं गंजबासौदा पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 120 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्टॉक कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है ।

5. उपरोक्तानुसार इकाई को आबकारी आयुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित करते हुए 7 दिवस के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी तामीली अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को कराई गई है ।

6. अपीलार्थी के उपरोक्त कृत्य को आबकारी आयुक्त द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन है और उपरोक्त आधार पर नियम 12(1) के अधीन दण्डनीय होना मान्य किया गया और उपरोक्तानुसार मद्यभाण्डागार पर 120 दिवस का न्यूनतम स्टॉक भण्डार नहीं पाया गया और उपरोक्त के आधार पर 250/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब 30,000/- रूपये एवं न्यूनतम स्टॉक नहीं रखे जाने से 15,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित कर कुल 45,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई ।

7. उपरोक्त अधिरोपित इकाई के म.प्र. देशी स्प्रिट नियम का उल्लंघन किये जानेसे 4(4) का उल्लंघन कियेजाने से नियम 12(1) अनुसार यह दण्डनीय होने से उपरोक्त के आधार पर अनियमितता एवं विहित प्रावधानों के उल्लंघन होने पर इकाई पर 45,000/- रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है ।

8. अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ आबकारी आयुक्त के समक्ष कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा विहित वैधानिक नियमानुसार 25 प्रतिशत का संग्रह कांच की बोतल में रखा गया और न ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है । अपीलार्थी द्वारा मेमों में वर्णित न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका

क्रमांक 60/2016 मेसर्स सोम डिस्टलरीज आदि में विचारण में लेते आदेश पारित किया गया है और उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि नियम 12 स्प्रिट नियम 1995 का उल्लंघन होने के कारण शास्ति अधिरोपित की गई, जिसमें व्यक्तिगत हानि आवश्यक नहीं है और शास्ति अधिरोपित किए जाने से नियम का उल्लंघन किए जाने हेतु पर्याप्त है । उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागारों विदिशा पर जनवरी 2017 से मार्च 2017 एवं गंजबासौदा पर अवधि माह मई, 2016, जून, 2016 एवं जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक की अवधि में, कुल 120 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है, प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखना अनिवार्य है । भले ही अपीलार्थी द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, जिसका पालन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 15,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों विदिशा एवं गंजबासौदा पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 120 दिवस कांच की बोतलों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह नहीं रखने से 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से 30,000/- रूपये अधिरोपित करते हुए कुल 45,000/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-7-2018 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

अध्यक्ष